

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064  
सीआईएन. : U24232RJ2011SGC035067

फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाइट : [www.rmhc.health.rajasthan.gov.in](http://www.rmhc.health.rajasthan.gov.in)

ई-मेल :: [rmhc@nic.in](mailto:rmhc@nic.in)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/ 3087

दिनांक : 20/2/25

आदेश

फर्म मैसर्स Navkar Life sciences, Plot no 76, Lodhi Majra Industrial Area, Baddi, Distt.Solan (H.P.) से निविदा क्रमांक F.02(351)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-08/2022/366 दिनांक 18.02.2022 के तहत औषधि Permethrin Cream 5% [569] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1193 दिनांक 17.05.2023 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जाँच कराये जाने पर औषधि का बैच (OF3008A व OF3011A) pH test में अमानक कोटी के पाये गये।

उक्त बैच को Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच (OF3008A व OF3011A) को अमानक कोटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 22.01.2025 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म द्वारा अमानक कोटी की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स Navkar Life sciences, Plot no 76, Lodhi Majra Industrial Area, Baddi, Distt.Solan (H.P.) की औषधि Permethrin Cream 5% [569] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(नेहा गिरि)

आई.ए.एस

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri  
Designation: Managing Director  
Date: 2025.02.20 09:25:23 IST  
Reason: Approved



क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/ 3087  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक : 20/2/25-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्तोरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Navkar Life sciences, Plot no 76, Lodhi Majra Industrial Area, Baddi, Distt.Solan (H.P.)
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri  
Designation: Managing Director  
Date: 2025.02.20 09:25:23 IST  
Reason: Approved